बिषय :- केंद्रीय सरकारी उद्यमों में असंघबद्ध परिवेशकों सहित निवेदक मण्डल स्तर के तथा निवेदक मण्डल स्तर से नीचे के पदों के वेतनमान में 01.01.2007 से संशोधन-संशोखत दरों पर नौकरियों में बहुमाहिए भत्ते का सुधार।

इस विभाग के दिनांक 07.10.2019 के समसंख्यक कायालय शीर्षन में संशोधन करते हुए, केंद्रीय सरकारी उद्यमों के कायापालकों तथा असंघबद्ध परिवेशकों को देव महंगाई भत्ते की दर (2007 का वेतन संशोधन) निर्देशकरण कर दी जाएः

(क) जिस तारीख से देय है : 01.01.2020

(ख) सितम्बर, 2019 - नवम्बर, 2019 तिमाही का औसत बिलियर भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001 =100)

<table>
<thead>
<tr>
<th>माह</th>
<th>मूल्य सूचकांक</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>सितंबर</td>
<td>322</td>
</tr>
<tr>
<td>अगस्त</td>
<td>325</td>
</tr>
<tr>
<td>अगस्त</td>
<td>328</td>
</tr>
<tr>
<td>तिमाही का औसत</td>
<td>325</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(ग) मूल्य सूचकांक: 126.33 (दिनांक 01.01.2007 को)

(घ) मूल्य सूचकांक की बुनियाद में बृहद वंचन : 198.67 (325 -126.33)

(ड.) दिनांक 01-01-2020 से महंगाई भता दर: 157.3%[(198.67 + 126.33) X 100 ]

2. उपर्युक्त महंगाई भता दर अंतर्गत 157.3% औद्योगिक महंगाई भता पाने वाले उन कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी जिनके मामले में लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26.11.2008, 09.02.2009 तथा 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार संशोधित वेतनमान (2007) की व्यवहारी दी गई है।

3. भारत सरकार के सभी प्राथमिक मंत्रालय/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त को आवश्यक कार्यवाही के लिए अपने प्राथमिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के ध्यान में लाएः

(नरेश कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि प्रेषित:–

1. केंद्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यालय।
2. प्राथमिक मंत्रालय/विभागों के वित्तीय सलाहकार।
3. व्यवसाय विभाग, भारत सरकार।
4. भारत के नियंत्रण अर्थ महानिदेशक, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केंद्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएः

(नरेश कुमार)
अध्यक्ष